

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 863 / 2017 / उदयपुर
2. अपील संख्या – 864 / 2017 / उदयपुर
3. अपील संख्या – 865 / 2017 / उदयपुर
4. अपील संख्या – 866 / 2017 / उदयपुर
5. अपील संख्या – 867 / 2017 / उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा।

बनाम

मैसर्स कबीर मोटर्स,  
जनता बाजार, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अधिवक्ता।  
श्री वी.सी.सोगानी,  
अधिवक्ता।

.....विभाग की ओर से

.....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12 / 12 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये संयुक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा आरोपित कुल मांग राशि में से शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. इन सभी पांचों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इन पांचों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		शास्ति
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1.	863 / 17	259 / वैट / 2015-16	09.01.2017	22.02.2016	2011-12	3,94,262
2.	864 / 17	260 / वैट / 2015-16	09.01.2017	22.02.2016	2012-13	1,54,816
3.	865 / 17	261 / वैट / 2015-16	09.01.2017	22.02.2016	2013-14	3,75,822
4.	866 / 17	262 / वैट / 2015-16	09.01.2017	22.02.2016	2014-15	1,53,058
5.	867 / 17	263 / वैट / 2015-16	09.01.2017	22.02.2016	2015-16	4,08,410

4. उपरोक्त प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टायर्स की ट्रेडिंग का कार्य किया जाता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे 'जांच अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया गया। जांच में

लगातार.....2

-: 2 :- 1-5. अपील संख्या - 863 से 867 / 2017 / उदयपुर

पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिकांश खरीद राज्य के भीतर से ही की जाती है, तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये टायर्स को जिस खरीद मूल्य पर क्रय किया जाता है, विभाग में उसी क्रय मूल्य पर बिल में अंकित कर राशि को आई.टी.सी. के रूप में क्लेम किया जाता है। कम्पनी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को क्रय मूल्य से कम में टायर्स विक्रय किये जाने पर सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वसूला गया आउटपुट टैक्स खरीद किये गये इनपुट टैक्स से कम हो जाता है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 18(3)(a) एवं 61(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष करने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 09.01.2017 द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर को यथावत् रखा है एवं आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह पांचों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वसूले गए आउटपुट टैक्स की राशि, इन टायर्स की खरीद के समय चुकाए गए इनपुट टैक्स से कम है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचन किया गया है, जिस पर शास्ति का आरोपण किया जाना चाहिए। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये टायर्स को जिस खरीद मूल्य पर क्रय किया जाता है, विभाग में उसी क्रय मूल्य पर बिल में अंकित कर राशि को आगत कर के रूप क्लेम किया जाता है। कम्पनी पॉलिसी के अनुसार इस प्रकार क्रय किये गये टायर्स को खरीद कीमत से भी कम कीमत पर विक्रय किया जाता है, तो कम्पनी द्वारा उन्हें सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार वसूले गये आउटपुट टैक्स की राशि, खरीद के समय चुकाये गये इनपुट टैक्स से कम रहती है। अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि उनके द्वारा किसी भी क्रय विक्रय को अपनी लेखापुस्तकों में नहीं छुपाया है, इस प्रकार उन पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी का प्रतिपादन किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टायर्स की ट्रेडिंग का कार्य किया जाता है, एवं उनकी अधिकांश खरीद राज्य के भीतर से ही की जाती है।

लगातार.....3

—: 3 :- 1-5. अपील संख्या - 863 से 867 / 2017 / उदयपुर  
प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये टायर्स को जिस खरीद मूल्य पर क्रय किया जाता है, विभाग में उसी क्रय मूल्य पर बिल में अंकित कर राशि को आई.टी.सी. के रूप में क्लेम किया जाता है। कम्पनी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को क्रय मूल्य से कम में टायर्स विक्रय किये जाने पर सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वसूला गया आउटपुट टैक्स खरीद किये गये इनपुट टैक्स से कम हो जाता है। इसलिए उनके द्वारा क्लेम किया गया आगत कर Bonafide mistake है। अधिनियम की धारा 61(2)(b) के अनुसार :-

**61. Penalty for avoidance or evasion of tax :** (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the assessing authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such

- (a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and  
(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit;

9. अधिनियम की धारा 61(2) के तहत अगर कोई व्यवहारी गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाता है तो उस पर शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी समस्त खरीद बिक्री को लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। उनके द्वारा किसी भी संव्यवहार को छिपाया नहीं गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दिये गये न्यायिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 23 वीएसटी 249(एससी) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार व वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड (20) 2012, 32 टीयूडी से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा जब सभी प्राप्तियां नियमित लेखा पुस्तकों में इन्द्राज हैं तथा करापवंचन का कोई मनोभाव नहीं है तो ऐसी अवस्था में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का विस्तृत आदेश स्पष्ट है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

10. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह पांचों अपीलें अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( मदनलाल मालवीय )  
सदस्य